झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

दि. 04/10/19

अधिसूचना

संख्या 8/वि1–04/2018.....1603...../ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) के अधीन झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैः–

अध्याय–1 –प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :–**

(क) यह नियमावली **''झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019''** कही जायेगी।

(ख) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(ग) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ :–**

(क) **''राज्य सरकार''** से तात्पर्य है, झारखण्ड सरकार ।

(ख) **''विभाग''** से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ।

(ग) **''अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव''** से तात्पर्य है, झारखण्ड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में सरकार के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।

(घ) **''निदेशक''** से तात्पर्य है निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड सरकार।

(ङ) **''जिला शिक्षा अधीक्षक''** से तात्पर्य है झारखण्ड राज्य के किसी जिले में प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पदाधिकारी ।

(च) **"प्रारंभिक विद्यालय"** से तात्पर्य है झारखण्ड राज्य अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक सरकार द्वारा/ वित्त पोषित/ अनुदान प्राप्त अथवा निःशुल्क

Scanned by CamScanner

और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय।

- "प्राथमिक विद्यालय" से तात्पर्य है ऐसे प्रारंभिक विद्यालय जहां कक्षा 1 से 5 तक के किसी भी कक्षा की पढ़ाई होती हो।

- "उच्च प्राथमिक विद्यालय" से तात्पर्य है ऐसे प्रारंभिक विद्यालय जहां कक्षा 6 से 8 तक के किसी भी कक्षा की पढ़ाई होती हो।

(छ) **"प्रशिक्षित"** से तात्पर्य है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन. सी.टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त और उत्तीर्ण हो।

(ज) **"मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण"** का तात्पर्य है कि इस नियमावली मे उल्लेखित एवं वाँछित शिक्षक प्रशिक्षण, चाहे जो नियमित रुप से अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किये गये हों, परन्तु

(i) यदि शिक्षक प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के प्रभावी होने की तिथि 01.07.1995 के बाद प्राप्त हों तो यह शिक्षक प्रशिक्षण मात्र उन प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त एवं उत्तीर्ण किये गये हों जिन्हें ये शिक्षक प्रशिक्षण प्रदत्त करने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की मान्यता अनिवार्यतः प्राप्त हो।

(ii) यदि शिक्षक प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के प्रभावी होने की तिथि 01.07.1995 के पूर्व प्राप्त हों, तो ये शिक्षक प्रशिक्षण मात्र उन प्रशिक्षण संस्थानों से प्राप्त एवं उत्तीर्ण किये गये हों जिन्हें ये शिक्षक प्रशिक्षण प्रदत्त करने हेतु उस राज्य, जहाँ वे अवस्थित हों, की राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता अनिवार्यतः प्राप्त हों।

(झ) **"शिक्षक"** से तात्पर्य है प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षण कार्य करने वाले व्यक्ति।

(ञ) **"परीक्षा प्राधिकार"** से तात्पर्य है, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार जो नियमावली के प्रावधानों के अधीन झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी।

(ट) **"अर्हक परीक्षा"** से तात्पर्य है, झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा।

(ठ) **"अनुसूचित जाति"** से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के रुप में निर्दिष्ट एवं अधिसूचित वर्ग समूह।

Scanned by CamScanner

(ड) **"अनुसूचित जनजाति"** से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट एवं अधिसूचित वर्ग समूह।

(ढ़) **"पिछड़ा वर्ग–1 एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग–2"** से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–i एवं अनुसूची–ii) के रूप में निर्दिष्ट एवं अधिसूचित वर्ग समूह।

(ण) **"आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग"** से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के रूप में निर्दिष्ट एवं अधिसूचित वर्ग समूह।

(त) **"आदिम जनजाति"** से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार द्वारा आदिम जनजाति के रूप में निर्दिष्ट एवं अधिसूचित वर्ग समूह।

(थ) **"दिव्यांग"** से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर व्यक्ति।

(द) **"विशेष शिक्षा"** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, राष्ट्रीय पुर्नवास परिषद् के द्वारा विशेष शिक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम एवं मान्यता के अनुरूप प्रशिक्षण में उत्तीर्णता।

(ध) **"अधिनियम"** से तात्पर्य है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35)।

(न) **"राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.)"** से तात्पर्य है अधिनियम की धारा 23(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अकादमिक प्राधिकार।

अध्याय–2–शिक्षक पात्रता परीक्षा

3. अधिनियम की धारा 23(1) के अन्तर्गत शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए न्यूनतम अहर्ता निर्धारित करने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) को केन्द्र सरकार द्वारा अकादमिक प्राधिकार अधिसूचित किया गया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता धारित करने वाला व्यक्ति ही शिक्षक के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा एवं न्यूनतम अहर्ता निर्धारित करने के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्गत सभी आदेश/ निर्देश/ संशोधन स्वतः इस नियमावली के अध्याय 2 का अंश होगा।

4. इस नियमावली के अध्याय 2 के कंडिका 6 में वर्णित न्यूनतम अहर्ता एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ता में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा दुविधा होने पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ता प्रभावी होगा।

Scanned by CamScanner

5. शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जाँच हेतु झारखंड अधिविद्य परिषद् अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें सफल अभ्यर्थी निम्नलिखित विद्यालयों में नियुक्ति के पात्र होंगे–

क. प्रारंभिक विद्यालय (प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालय)

6. शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम अहर्त्ताएँ निम्नवत् होंगी :

(क) भारत का नागरिक हो,

(ख) अपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो।

(ग) शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्ताएँ :

(i) प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1–5 के लिए)

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो), [जो दिनांक 09.12.2007 के बाद उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हों]

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। [जो दिनांक 09.12.2007 तक उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हो चुके हों]

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

Scanned by CamScanner

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बी.एड.)

(ii) उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6–8 के लिए)

स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) [जो दिनांक 31.05.2009 के बाद उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हों]

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों, के अनुसार प्राप्त किया गया हो। [जो दिनांक 31.05.2009 तक उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हो चुके हों]

अथवा

Scanned by CamScanner

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी.एड. (BA,BSC,Ed.) या बी.ए.एड. (BA, Ed)/बी.एस.सी.एड. (BSC,Ed.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा एक वर्षीय बी.एड.(विशेष शिक्षा)

परन्तुक– राज्य के उच्च प्राथमिक (कक्षा 6–8 के लिए) विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा के लिए निम्न विषयों में न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा–

(i) **गणित एवं विज्ञान शिक्षक–** स्नातक (विज्ञान) प्रतिष्ठा के रूप में निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय एवं सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कोई दो विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण–

(क.) गणित, (ख.) भौतिकी, (ग.) रसायनशास्त्र, (घ.) वनस्पति विज्ञान (च) जीव विज्ञान।

(ii)**सामाजिक विज्ञान शिक्षक–** स्नातक (कला) प्रतिष्ठा के रूप में निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय तथा सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कोई दो विषय के साथ उत्तीर्ण–

(क.) इतिहास, (ख.) भूगोल, (ग.) राजनीतिशास्त्र, (घ.) अर्थशास्त्र (च.) समाजशास्त्र।

(iii) **भाषा शिक्षक–** संबंधित भाषा में स्नातक प्रतिष्ठा अथवा सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित भाषा में से कोई एक भाषा अंग्रेजी/हिन्दी के साथ अतिरिक्त विषय के रूप में स्नातक उत्तीर्ण–

Scanned by CamScanner

(क) संस्कृत (ख) उर्दू (ग) फारसी (घ) उड़िया (च) बंगला (छ) संथाली (ज) मुण्डारी (झ) हो (ट) खड़िया (ठ) कुडुख(उरांव) (ड) कुरमाली (ढ़) खोरठा (त) नागपुरी तथा (थ) पंच–परगनिया।

नोटः– *1. राज्य में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में विभागीय संकल्प/आदेश द्वारा कक्षा 1–5 तक अनिवार्य किया गया है। इस आलोक में इण्टर प्रशिक्षित श्रेणी हेतु आवेदको को मैट्रिक स्तर पर अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना होगा।*

2. क्षेत्रीय एवं अन्य भाषा में इण्टर प्रशिक्षित श्रेणी के आवेदकों को मैट्रिक/इण्टर स्तर पर संबंधित भाषा में उत्तीर्ण होना होगा।

3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायादेशों के क्रम में (एल.पी.ए. संख्या 209, 219, 222, 223, 227/2017 में पारित न्यायादेश दिनांक 27.06.2019) स्नातक डिग्री अहर्ताधारी जिनका सहायक अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में MIL Hindi *रहा हो, उन्हें इसके आधार पर स्नातक प्रशिक्षित भाषा शिक्षक के पद हेतु वांछित अहर्ता नहीं माना गया है।*

(घ) वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में कंडिका–6(ग) (i) के अनुरूप निर्धारित योग्यताधारी अर्थात ''न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा एक वर्षीय बी.एड./ बी.एड.(विशेष शिक्षा)/ डी.एड.(विशेष शिक्षा)'' प्राप्त हो, ऐसे अभ्यर्थी को इस शर्त के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि शिक्षक पद पर नियुक्ति के पश्चात् राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्चे पर एक अवसरीय रूप में छः माह का ब्रीज (सेतु) कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में इनका अभ्यर्थित्व विचारणीय नहीं होगा तथा रद्द कर दिया जायेगा।
(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना संख्या–246, दिनांक 28.06.2018 के अनुरूप)

(ङ) अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को नियम 6(ग) (i) (अ) एवं 6(ग) (ii) (अ) में अंकित न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों को उपरोक्त अंकित न्यूनतम प्राप्तांक में 7 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

Scanned by CamScanner

(च) अभ्यर्थी झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व अपनी योग्यता नियम 6(ग) (i) (अ) एवं 6(ग) (ii) (अ) के विनिर्दिष्ठ योग्यता के अनुरूप स्वंय संतुष्ठ हो लेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अहर्ता धारित करना अनिवार्य होगा।

(छ) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई हो, से तात्पर्य नहीं होगा कि उनकी अर्हता निर्धारित योग्यता के अनुरूप सत्यापित है। उनके अभ्यर्थित्व का अंतिम सत्यापन सक्षम नियुक्ति प्राधिकार के पास सुरक्षित रहेगा।

(ज) कोई भी अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक में सुधार के लिए एक से अधिक बार परीक्षा में शामिल हो सकेगा।

7. **शिक्षक पात्रता जाँच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा –**

(क) पात्रता जाँच परीक्षा के दो स्तर यथा प्राथमिक विद्यालय स्तर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के होंगे और कोई अभ्यर्थी दोनों स्तर की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।

(i.) कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर

(ii.) कक्षा 6 से 8 के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर

(ख) प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसका परीक्षा अवधि निम्नवत् होगा :–

i) प्राथमिक कक्षा (1 से 5) – दो घंटा तीस मिनट।

ii) उच्च प्राथमिक कक्षा (6 से 8) – तीन घंटा।

iii) दृष्टि बाधित, दिव्यांगों के लिए – तीस मिनट का अतिरिक्त समय।

(ग) परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों की होगी और इसमें अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जायेगी।

(घ) कक्षा 1 से 5 के लिए पात्रता जाँच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत् होगा :

खण्ड	विषय	बहु-विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
i.	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति	20	20
ii.	भाषा– I	40	40
	(a) सहायक शिक्षक : हिन्दी एवं अंग्रेजी (हिन्दी के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए		

Scanned by CamScanner

	20 प्रश्न) (b) उर्दू सहायक शिक्षक : उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)		
iii.	भाषा– II क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा	20	20
	गणित	60	60
	पर्यावरण अध्ययन	60	60
	कुल–	200	200

(इ़) कक्षा 6 से 8 के लिए निम्नवत् अहर्त्ता जाँच परीक्षा ली जायेगी :

खण्ड			विषय	बहु–विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
1	अनिवार्य	i.	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति (अनिवार्य)	25	25
		ii.	भाषा– I (a) सामान्य शिक्षक : हिन्दी एवं अंग्रेजी, या (हिन्दी/संस्कृत के लिए 25 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 25 प्रश्न) (b) उर्दू शिक्षक : उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 30 प्रश्न)	50	50
		iii.	भाषा– II क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा/संस्कृत सहित	25	25
2	वैकल्पिक	iv	(a) गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक : (गणित–70, विज्ञान–80 (भौतिक–40, रसायन–40, वनस्पति–40, जीव विज्ञान–40 में से कोई भी दो विषय)	150	150
			(b) समाज अध्ययन शिक्षक : (इतिहास–50,भूगोल–50, राजनीति शास्त्र–50,अर्थशास्त्र–50, समाजशास्त्र–50 में से कोई भी तीन विषय)	150	150
			(c) भाषा शिक्षक : (अंग्रेजी–75 एवं हिन्दी/संस्कृत/उर्दू/अन्य संबंधित भाषा–75)	150	150
			कुल–	250	250

नोटः– विज्ञान विषयों एवं समाजिक विज्ञान के विषयों के लिए क्रमशः 4 एवं 5 खण्ड होंगे, जिसमें से क्रमशः दो या तीन खण्ड का उत्तर देना अनिवार्य होगा।

(च.) प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे और परीक्षा का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी होगा। अन्य भाषा विषयों के प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में होंगे।

Scanned by CamScanner

(छ) प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जाँच परीक्षा के प्रश्न एन.सी.ई.आर.टी./सी.बी.एस.ई. एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 11 एवं 12 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। इनकी कठिनाई का अधिकतम स्तर 10+2/उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष होगा।

(ज) उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जाँच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा स्नातक के सिलेबस पर आधारित होंगे। किन्तु, इनकी कठिनाई का अधिकतम स्तर स्नातक या समकक्ष होगा।

(झ) नियम 7(घ) एवं (ङ) में भाषा–II अन्तर्गत वर्णित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा नियमावली के अनुसूची–1 के अनुसार होगी। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आवेदित जिला के लिए अनुमान्य क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य होगा।

क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा की परीक्षा में परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी हो एवं उस भाषा में वे शुद्ध–शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हैं।

(ट) प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए सिलेबस क्रमशः अनुसूची–2 एवं अनुसूची–3 के अनुरूप होगी।

(ठ) परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु प्रत्येक खण्ड में न्यूनतम 40 प्रतिशत के साथ कुल प्राप्तांक का न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परन्तु कि अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत अंक की छूट देया होगा, परन्तु न्यूनतम प्राप्तांक में छूट किसी भी परिस्थिति 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। अर्थात उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 35 एवं 55 प्रतिशत होगा।

8. परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकार/परीक्षा प्राधिकार के द्वारा किया जायेगा।

9. परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा परीक्षा प्राधिकार प्रमाण पत्र निर्गत करेगा जो परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से 7 (सात) वर्ष तक शिक्षक नियुक्ति हेतु मान्य होगा।

10. नियम 7(ङ)(iv) के अधीन अंकित क्रमशः (अ), (ब) एवं (स) श्रेणी में झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्तर्गत विज्ञान एवं गणित शिक्षक या समाज अध्ययन या भाषा विषय

Scanned by CamScanner

शिक्षक पद के विरूद्ध इस अनुरूप नियुक्ति के पात्र होंगे, जैसा कि परीक्षा 7(ड़) के खण्ड 2 में वैकल्पिक विषय के रूप में परीक्षा दी है।

11. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक पद पर नियुक्ति का दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा। यह मात्र एक पात्रता जाँच परीक्षा है।

12. शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकार को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य होगा।

13. पात्रता परीक्षा में कदाचार के आरोपित अभ्यर्थी को अगले दो परीक्षा तक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित करने का अधिकार परीक्षा प्राधिकार को होगा।

14. पात्रता परीक्षा से संबंधित सभी अभिलेखों को न्यूनतम सात साल तक सुरक्षित संधारित करने का दायित्व परीक्षा प्राधिकार का होगा।

अध्याय–3–अन्यान्य

15. नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर राज्य सरकार उस कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसी कार्रवाई या आदेश पारित कर सकेगी जो आवश्यक प्रतीत होता हो तथा ऐसी की गयी कार्रवाई या आदेश इस नियमावली के अंग माने जायेंगे।

16. इस नियमावली के प्रभावी होने के तिथि से झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के अध्याय–2 में वर्णित उपबंध को निरसित समझा जायेगा।

परन्तु, ऐसे निरसन के होते हुए भी ऐसे नियमों एवं आदेशों द्वारा या उनके अधीन की गयी कोई कार्रवाई, इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन किया गया था या की गयी समझी जायेगी, मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन वैसा कुछ भी किया गया था या वैसी कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

03/10/19

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 8/वि1–04/2018..1603../ **राँची, दिनांक**..04/10/.. **2019**

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की

Scanned by CamScanner

600 प्रतियाँ अविलम्ब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

Ap 03/10/19
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 8/वि1–04/2018.1603./ **राँची, दिनांक**.04/10/ **2019**

प्रतिलिपि :– झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/ सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Ap 03/10/19
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक – 8/वि1–04/2018.1603./ **राँची, दिनांक**.04/10/ **2019**

प्रतिलिपि :– विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Ap 03/10/19
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव

Scanned by CamScanner